578 567 5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५००० रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

12

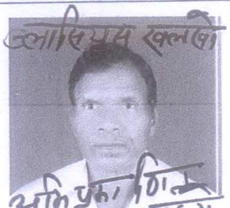

ब्लासियुस खलखो

अभिप्रमाणित
सजयकुमार महतो
अधिवक्ता
24.06.13

ब्लासियुस खलखो 24-6-2013

[illegible] अधिनियम 1908 की धारा 46 (1) PRO [illegible]
[illegible] भारतीय स्टाम्प अधिनियम
[illegible] स्टाम्प [illegible] 1899 की अनुसूची
[illegible] 23 I A With the Permission
[illegible] by L.R.D.C. Simdega vide
[illegible] Case No 463/2012-13
orders dated
09-4-13

[illegible] 24-6-13

[illegible] 24-6-13

१।१ लेख्यकारी:- श्री ब्लासियुस खलखो पिता स्व० स्तानिसलास खलखो, जाति- उराँव, पेशा- खेतीबारी, निवास ग्राम- खिजरी पुरनापानी, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

.. .. .. बिक्रेता ।

शपथ-पत्र संख्या:- 366/2013

[illegible]

129

000077/13

96 dt 11.04.13

जिला कोषागार सिमडेगा

श्री बलासियुस खलखो

स्व० स्तानिस लास खलखो

ग्रा० खिजरी पुरनापानी जिला सिमडेगा

निम्नलिखित ननजुडिशियल स्टा०

वास्ते केवाला

रुपया 6,000

15/04/13

कोषागार सिमडेगा

5000 x 1 = 5,000
500 x 1 = 500
100 x 5 = 500

Total = 6,000

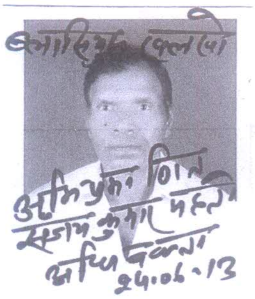

बलासियुस खलखो

24-6-2013

24-6-13 10 to 1

श्री बलासियुस खलखो

स्व० स्तानिसलास खलखो

ग्रा० खिजरी पुरनापानी जिला सिमडेगा

24-6-13

जिला अवर निबंधक सिमडेगा

500Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५००रु. Rs 500

सत्यमेव जयते

भारत

पांच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

--2--

(2) लेख्यधारी:- श्री बेन्जामिन केरकेट्टा पिता श्री अन्तोनी केरकेट्टा जाति- खड़िया, पेशा- नौकरी, निवास ग्राम- तुम्डेगी भण्डारटोली, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

.. भारतीय नागरिक .. क्रेता ।

शपथ-पत्र संख्या:- 367 / 2013

(3) लेख्यप्रकार:- विक्रय पत्र केवाला बैला कलामी पुत्र पुत्रादिक सदा सर्वदा के लिए होता है ।

(4) मूल्य:- मोबलिग एक लाख पचास हजार रूपये अंके 1,50,000/- रूपये होता है ।

24-6-2013

(5) सम्पति:- एराजियात अन्दर मौजा- खिजरी सामटोली, थाना- सिमडेगा, थाना नं0 105, सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला- सिमडेगा के खाता नं0 152/5 (एक सौ बावन बटा पाँच) प्लॉट नं0 2170 (एक्कीस सौ सत्तर) रकबा 0.10 एकड़ (दस डिसमिल) शहरी क्षेत्र के चार भागों में से विक्रय वाली जमीन आवासीय क्षेत्र में पड़ता है जिसपर किसी प्रकार का मकान या निर्माण नहीं है ।

जिसकी चौहद्दी:-

उत्तर:- इसी प्लॉट का अंश दूसरा हिस्सेदार,

दक्षिण:- परती नाला,

पूरब :- अनिल मिंज का टांड़ ,

पश्चिम:- इसी प्लॉट का अंश ।

100Rs.
INDIA NON JUDICIAL
१०० रु. Rs 100
सत्यमेव जयते
भारत
एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

﴾1﴿ चूँकि मुझ लेखयकारी को मकान निर्माण एवं अन्य दीगर घरेलू खर्च के लिए रूपयों की जरूरत पड़ी जिसकी व्यवस्था जमीन बेचे वगैर सम्भव न हुई और तब मैंने लेखयधारी से मेरी जमीन खरीदने की प्रार्थना की जिसे उन्होंने खरीदना एवं रूपये देना स्वीकार किया ।

﴾2﴿ इसलिए मैंने अपनी इच्छा से शरीर वो मन की स्वस्थता में रहकर उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित जमीन को उपर्युक्त लेखयधारी के हाथ नगद कीमत चुकता पाकर बेचा और बेची गई जमीन का कुल हक दखल वो अधिकार उक्त लेखयधारी वो उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । अब से बेची गई जमीन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आइन्दा रहेगा ।

﴾3﴿ मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि विक्रीत वर्णित जमीन मेरे पिताजी की खरीदगी जमीन है जिसे उन्होंने निबंधित केवाला संख्या 714 दिनांक 03.12.1962 ई0 के द्वारा हासिल किया है । मेरे पिताजी की मृत्यु के पश्चात हम भाईयों के बीच जमीन का आपसी मौखिक बँटवारा हो चुका है । जो जमीन मैं बेच रहा हूँ मेरे निज हिस्से की जमीन है जिसपर मेरा निर्विवाद हक दखल वो कब्जा है और किसी प्रकार का वाद या झगड़ा झंझट नहीं है ।

28-6-2013

100 Rs.

§4§ चूँकि हम उभय पक्ष आदिवासी समुदाय के सुरक्षित सदस्य हैं अतः जमीन खरीद बिक्री हेतु अनुमति के लिए श्रीमान् उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सिमडेगा के न्यायालय में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत आवेदन दिया । जिसका वाद संख्या 463/2012-13 है जिसकी स्वीकृति दिनांक 09.04.013 को प्राप्त हुई एवं जिसका मेमो नं0 362§1§ दिनांक 09.04.2013 है ।

§5§ अब चाहिए कि लेख्यधारी अपनी जमीन पर काविज वो दखलकार होकर अपना जैसा फायदा का समझें अपने उपयोग में लावें वो झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय से अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारीख लेख्य से व अदाय मालगुजारी के रसीद खास नाम से हासिल किया करें ।

§6§ इसलिए यह विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी सदा दिन के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे ।

24-6-2013

उक्त बिक्री की जानेवाली जमीन भू-हदबंदी, कैसरे हिन्द, खास महल, सैरात, लीज, भू-दान, बंदोवस्ती, गैर मजरूआ के तहत नहीं है ।

100 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु.

Rs 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

--5--

मैं लेख्यकारी यह घोषणा करता हूँ कि विक्रीत जमीन वो बचत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है।

ब्लासियुस खलखो
24-6-2013

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यकारी के बाँये हाथ का पाँचों अंगुलियों का छाप मेरे समक्ष लिया गया।
संजय कुमार महतो
अधिवक्ता
25.06.2013

ब्लासियुस खलखो 24-6-2013

मैं लेख्यधारी यह घोषणा करता हूँ कि पूर्व में धारित जमीन वो खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है।

बेनजामिन केरकेट्टा
24/6/2013

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यधारी के बाँये हाथ का पाँचों अंगुलियों का छाप मेरे समक्ष लिया गया।
संजय कुमार महतो
अधिवक्ता
25.06.2013

100Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु.

सत्यमेव जयते

भारत

Rs 100

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

सही/- संजय कुमार मल्ली
अधिवक्ता

{प्रारूपकर्त्ता} 25.06.2013
तारीखः-

उपनिबंधक रतलाम
24-6-2013

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु. Rs 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र दस्तावेज के कुल सात पृष्ठों में कुल 638 शब्द टंकित हैं जो खण्डन रहित वो नक्सा सहित है ।

टंकक
मो० मकसुद 24-6-2015
मो० मकसुद
कचहरी परिसर,
सिमडेगा ।

24-6-2015